सं.12-3/2016-ई.III(ए)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

नई दिल्ली, ५ फरवरी, 2019

कार्यालय ज्ञापन

विषयः अतिरिक्त कार्य भत्ता प्रदान करना - (विद्यमान देखभाल भत्ता, अतिरिक्त ड्यूटी भत्ता, फ्लैग स्टेशन भत्ता, उड़न योग्यता प्रमाणपत्र भत्ता, पुस्तकालय भत्ता, राजभाषा भत्ता और विशेष नियुक्ति भत्ता को समाप्त करना) - सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार का निर्णय।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 20.07.2017 के का.ज्ञा. सं.12-3/2016-ई.III(ए) की ओर ध्यान आकृष्ट करने और यह कहने का निदेश हुआ है कि अतिरिक्त कार्य भत्ता प्रदान करने के लिए पैरा 3 (ख) में निर्धारित शर्तों में से एक शर्त यह है कि "कोई कर्मचारी यह भत्ता अधिकतम एक वर्ष की अवधि के लिए प्राप्त करेगा और उसी कर्मचारी को पुनः समान कार्यों के लिए तैनात किए जाने में कम से कम एक वर्ष का अंतराल होना चाहिए।"

2. इस मंत्रालय के ध्यान में यह लाया गया है कि रिक्ति से संबंधित परिपत्र का व्यापक परिचालन करने के बावजूद देखभाल कार्य करने के लिए कोई उपयुक्त कर्मचारी उपलब्ध नहीं है तथा देखभाल कार्य करने वाले कर्मचारी के भत्ते को एक वर्ष के पश्चात् बंद किए जाने के मद्देनजर भवनों के देखभाल का कार्य प्रभावित हो सकता है।

3. इस मामले पर विचार किया गया है और राष्ट्रपति ने यह निर्णय दिया है कि जहां तक कार्यालय भवन के देखभाल कार्य का संबंध है, जहां कहीं भी किसी कर्मचारी ने इस मंत्रालय के दिनांक 20.07.2017 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार एक वर्ष तक अतिरिक्त कार्य भत्ता आहरित किया है तथा यदि देखभाल कार्य करने के लिए कोई उपयुक्त कर्मचारी उपलब्ध नहीं है, तो वही कर्मचारी देखभाल कार्य करना जारी रख सकता है और किसी उपयुक्त कर्मचारी का चयन होने की अवधि तक उसे निर्धारित दरों पर अतिरिक्त कार्य भत्ते का भुगतान किया जाएगा। यह छूट केवल देखभाल कार्यों के मामले में लागू है तथा अन्य कार्यों के संबंध में नहीं है जिनके लिए इस मंत्रालय के दिनांक 20.07.2017 के उक्त का.ज्ञा. के पैरा 2 में किए गए उल्लेख के अनुसार 1.7.2017 से पूर्व पृथक भत्ते स्वीकार्य हैं।

4. ये आदेश जारी होने की तारीख से तत्काल प्रभावी होंगे।

5. जहां तक भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभागों में कार्यरत कर्मचारियों का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक कार्यालय से परामर्श के बाद जारी किए जाते हैं।

अमरनाथ सिंह

(अमर नाथ सिंह)

निदेशक

सेवा में,

सभी मंत्रालय/विभाग